

विज्ञापन संख्या-53 के अन्तर्गत गैर-शैक्षिक संवर्ग के पदों हेतु सामान्य निर्देश

1. विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमतः 03 वर्ष की होगी, जिसे संतोषजनक सेवा पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुरूप बढ़ाई जा सकती है। विश्वविद्यालय में लियन का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. चयन/स्क्रीनिंग/साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थिति होने के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (सेवानिवृत्त कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू नहीं)
3. **भारत/राज्य सरकार सेवा में कार्यरत कार्मिक, जो अर्ह हों, वे ही वरिष्ठ सहायक/सहायक लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।**
4. विज्ञापित पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/सुसंगत नियमों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
6. सेवानिवृत्त कार्मिकों से नियुक्ति किये जाने की स्थिति में शासन की नीति के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जाना होगा।
7. यदि कार्मिक के मूल विभाग में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
8. संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति हो जाने अथवा 03 वर्ष के लिये, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति की जायगी।
9. वरिष्ठ सहायक या सहायक लेखाकार के पद पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति नियत वेतन अथवा अंतिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाते हुए, जो भी कम हो, के आधार पर भुगतान किया जायेगा। नियत वेतनमान (लेवल) पद के निर्धारित प्रारम्भिक मूल वेतन के समतुल्य होगा।
10. प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आवेदकों हेतु अधिवर्षता आयु 01.07.2022 को 05 वर्ष से कम शेष रह गई है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति दिनांक 01 जुलाई, 2022 को अधिकतम आयु 64 वर्ष अथवा संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति हो जाने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिये की जाएगी।
12. विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> से डाउनलोड किये गये निर्धारित आवेदन-पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। **Online** आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, केवल **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक** द्वारा आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाएंगे। अधूरे तथा किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
13. विज्ञापित पद के सापेक्ष प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी कारण से निरस्त किये जाने पर अथवा अन्य किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित/निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. इस विज्ञापन के सम्बन्ध में सभी सूचनाएं तथा पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार/परिणाम आदि की समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सम्बन्ध में पृथक से सूचनाएं प्रकाशित नहीं की जायेंगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
15. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने, अपूर्ण होने तथा आवेदन-पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होगा।

16. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-
 (क) नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन-पत्र में चस्पा जाय।
 (ख) आवेदन-पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, आयु प्रमाण-पत्र व अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाएं।
 (ग) सेवानिवृत्ति के मामले में पी0पी0ओ0 की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
17. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर उन्हें कोई मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
18. आवेदन-पत्र प्रेषित करने से पूर्व लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित किया जाए, जिसका प्रारूप निम्नवत है :-

विज्ञापन सं० : 53/भर्ती/2022-23 आवेदित पद का नाम : .	
सेवा में, कुलसचिव डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहान रोड, लखनऊ, - 226 017	डाक टिकट
प्रेषक : दूरभाष नं०/मोबाइल नं० : (अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये)	

19. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी/विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपकी पात्रता को सुनिश्चित नहीं करेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो समस्त अभ्यर्थियों को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।
20. सभी प्रकार के विवादों का निपटारा सिर्फ जनपद लखनऊ न्यायालय में ही मान्य होगा।
- उपरोक्त पद के लिये विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन-पत्र पर ही समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक: 05 सितम्बर, 2022 को सायं 5.00 बजे तक कुलसचिव, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ - 226 017 को प्राप्त हो जायें।

कुलसचिव
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
 लखनऊ